

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 509 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**

**AMIT GUPTA**

**.....APPLICANT**

**VERSUS**


**NOIDA AUTHORITY & ORS.**

**.....RESPONDENT**

**INDEX**

<b>SL. NO.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGES</b>
1.	Reply Affidavit on Behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board.	1-3
2	<b><u>ANNEXURE-1</u></b> True copy of the said notification dated 25.01.2018	4-6
3	<b><u>ANNEXURE-2</u></b> Copy inspections made on 29.09.2025 and 17.12.2025	7-95
4	<b><u>ANNEXURE-3</u></b> True copy of the letter dated 15.05.2025	96
5	<b><u>ANNEXURE-4</u></b> True copy of the letter dated 10.12.2025	97-98
6	Vakalatnama	99

**NEW DELHI  
DATED: 23.12.2025**



**(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)**

Counsel for U.P. Pollution Control Board

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: [pradeepmisra@yahoo.com](mailto:pradeepmisra@yahoo.com)

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 509 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**

**AMIT GUPTA**

**...APPLICANT**

**VERSUS**

**NOIDA AUTHORITY & ORS.**


**...RESPONDENT**

**REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-6, UTTAR  
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

I, Reetesh Kumar Tewari, aged about 50 years, S/o Shri J.N. Tewari, presently posted as Regional Officer, U.P. Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), NOIDA at present at New Delhi do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the above noted capacity am well conversant with the facts and records of the present case and also being authorized, am competent to swear this affidavit.
2. That in the present case grievance has been raised by the Applicant that various agencies doing development work are not following the norms including the notification dated 25.01.2018 issued by MoEF regarding dust emissions and not taking the preventative measures to control the pollution. True copy of the said notification dated 25.01.2018 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

That the Applicant has also relied upon various complaints made by him.



4. That pursuant to the complaints received and otherwise also various inspections have been done by Regional Office, U.P. Pollution Control Board and whenever it has been found that dust/debris are lying, letters have been sent to the authority concerned to take steps for complying with the norms and to abate the pollution. The inspections made on 29.09.2025 and 17.12.2025 are being enclosed being enclosed herewith and marked as **Annexure-2 (Colly)**.
5. That the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, NOIDA has also sent a letter to Chief Engineer, Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. mentioning therein that the contractors who are doing the work of lying underground cables at various places and are violating the norms, they should be blacklisted or orders be passed to impose penalty/environmental compensation on them. True copy of the letter dated 15.05.2025 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3**.
6. That the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, NOIDA on 10.12.2025 has also written a letter to Additional Chief Executive Officer, NOIDA mentioning therein that various executing agencies which are not following the C&D Waste Management Rules, 2016, Dust Notification dated 25.01.2018 and the orders passed by CAQM, the penalty/compensation be imposed on them and the information in this regard be sent to the U.P. Pollution Control Board. True copy of the letter dated 10.12.2025 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-4**.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N.K. YADAV', located below the text of the sixth list item.

7. That present affidavit is being filed and the U.P. Pollution Control Board seeks liberty of this Hon'ble Tribunal file any further affidavit, if so required.

The above reply on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

**DEPONENT**

**VERIFICATION**

Verified at Noida..... on this the 22 day of December, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

**DEPONENT**



**ATTESTED**

N. K. YADAV  
Advocate Notary  
(G.B. Nagar)

22 DEC 2025

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939

No. 49]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 94(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 105 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “106. पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं से संबंधित निर्माण एवं विध्वंस क्रियाकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों का आज्ञापक कार्यान्वयन :
- (i) पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाली कोई भी भवन अथवा अवसंरचना परियोजना धूल उपशमन उपायों सहित अनुमोदित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के बिना कार्यान्वित नहीं की जाएगी।
  - (ii) निर्माण स्थलों पर या वहां तक जाने वाली सड़कें खडंजा और ब्लैकटॉप्ड (अर्थात् मेटेलिक सड़कें) होनी चाहिए।
  - (iii) पर्याप्त धूल उपशमन उपायों के बिना मिट्टी की खुदाई नहीं की जाएगी।
  - (iv) कोई भी मिट्टी या रेत या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट या धूल वाली कोई अन्य निर्माण सामग्री बिना ढके नहीं छोड़ी जाएगी।
  - (v) समुचित ऊंचाई अर्थात् भवन की ऊंचाई की 1/3 और अधिकतम 10 मीटर तक के विंड-ब्रेकर की व्यवस्था की जाएगी।
  - (vi) जल छिड़काव प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।
  - (vii) निर्माण स्थल पर जनता को आसानी से दिखाई देने के लिए धूल उपशमन उपायों का स्पष्ट तौर पर प्रदर्शन किया जाएगा।

**107. सभी निर्माण एवं विध्वंस क्रियाकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों का अनिवार्य कार्यान्वयन :**

- (i) खुले क्षेत्र में भवन सामग्रियों की घिसाई तथा कटाई को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- (ii) निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट का भंडारण केवल निर्धारित क्षेत्र के अंदर किया जाएगा और निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट को सड़क के किनारे भंडारण को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- (iii) निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट ढोने वाले बिना ढके हुए किसी भी वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iv) निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान स्थल का अभिनिर्धारण किया जाएगा और स्थल पर अपेक्षित धूल उपशमन उपाय अधिसूचित किए जाएंगे।

**नोट :** उपरोक्त क्रम संख्यांक 106 और 107 उन नगरों और शहरों के लिए लागू होंगे जहां धूलकण 10/ धूलकण 2.5 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में निर्धारित सीमाओं से अधिक हो।”

[फा. सं. क्यू-16017/172/2017-सीपीए]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**नोट :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे, अर्थात् :-

का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010; सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2012; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. 771(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2013; सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.नि. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014; सा.का.नि. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014; सा.का.नि. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014; सा.का.नि. 789(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2014; का.आ. 3305(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2015; का.आ. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 281(अ), तारीख 7 मार्च, 2016; सा.का.नि. 496(अ), तारीख 9 मई, 2016; सा.का.नि. 497(अ), तारीख 10 मई, 2016; सा.का.नि. 978(अ), तारीख 10 अक्टूबर, 2016; सा.का.नि. 1016(अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2016 और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1265(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2018

**G.S.R. 94(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, after serial number 105 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

**“106. Mandatory Implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance:**

- (i) No building or infrastructure project requiring Environmental Clearance shall be implemented without approved Environmental Management Plan inclusive of dust mitigation measures.

- (ii) Roads leading to or at construction sites must be paved and blacktopped (i.e. metallic roads).
- (iii) No excavation of soil shall be carried out without adequate dust mitigation measures in place.
- (iv) No loose soil or sand or Construction & Demolition Waste or any other construction material that causes dust shall be left uncovered.
- (v) Wind-breaker of appropriate height i.e. 1/3<sup>rd</sup> of the building height and maximum up to 10 meters shall be provided.
- (vi) Water sprinkling system shall be put in place.
- (vii) Dust mitigation measures shall be displayed prominently at the construction site for easy public viewing.

**107. Mandatory Implementation of Dust Mitigation Measures for all Construction and Demolition Activities:**

- (i) Grinding and cutting of building materials in open area shall be prohibited.
- (ii) Construction material and waste should be stored only within earmarked area and road side storage of construction material and waste shall be prohibited.
- (iii) No uncovered vehicles carrying construction material and waste shall be permitted.
- (iv) Construction and Demolition Waste processing and disposal site shall be identified and required dust mitigation measures be notified at the site.

**Note :** The serial numbers 106 and 107 above shall apply to cities and towns where value of particulate matter 10/ particulate matter 2.5 exceeds the prescribed limits in National Ambient Air Quality Standards."

[F. No. Q-16017/172/2017-CPA]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844(E), dated the 19<sup>th</sup> November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:—

S.O. 433(E), dated the 18<sup>th</sup> April, 1987; G.S.R. 176(E), dated the 2<sup>nd</sup> April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18<sup>th</sup> February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4<sup>th</sup> March, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22<sup>nd</sup> July, 2009; G.S.R. 739(E), dated the 9<sup>th</sup> September, 2010; G.S.R. 809(E), dated the 4<sup>th</sup> October, 2010; G.S.R. 215(E), dated the 15<sup>th</sup> March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2011; G.S.R. 354(E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 2011; G.S.R. 424(E), dated the 1<sup>st</sup> June, 2011; G.S.R. 446(E), dated the 13<sup>th</sup> June, 2011; G.S.R. 152(E), dated the 16<sup>th</sup> March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30<sup>th</sup> March, 2012; G.S.R. 277 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2012; G.S.R. 820 (E), dated the 9<sup>th</sup> November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7<sup>th</sup> August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11<sup>th</sup> December, 2013; G.S.R. 2 (E), dated the 2<sup>nd</sup> January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2014; G.S.R. 232 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014; G.S.R. 325 (E), dated the 7<sup>th</sup> May, 2014; G.S.R. 612(E), dated the 25<sup>th</sup> August, 2014; G.S.R. 789 (E), dated the 11<sup>th</sup> November, 2014; S.O. 3305 (E), dated the 7<sup>th</sup> December, 2015; S.O. 4(E), dated the 1<sup>st</sup> January, 2016; G.S.R. 35(E), dated the 14<sup>th</sup> January, 2016; G.S.R. 281(E), dated the 7<sup>th</sup> March, 2016; G.S.R. 496(E), dated the 9<sup>th</sup> May, 2016; G.S.R. 497(E), dated the 10<sup>th</sup> May, 2016; G.S.R. 978(E), dated the 10<sup>th</sup> October, 2016; G.S.R. 1016(E), dated the 28<sup>th</sup> October, 2016 and lastly amended *vide* notification GSR 1265(E) dated the 13<sup>th</sup> October, 2017.

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न निरीक्षणों में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा C&D Waste Management Rule 2016, Dust Notification Date 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर नोएडा प्राधिकरण को प्रेषित किये जाने वाले निरीक्षण आख्या एवं पत्रों का विवरण।

क्रम सं०	निरीक्षण तिथि	प्राधिकरण को प्रेषित पत्र	स्थल का विवरण	विवरण
1	दिनांक 29.09.2025	दिनांक 29.09.2025	सेक्टर-01, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
2	दिनांक 25.10.2025	दिनांक 27.10.2025	सेक्टर-115, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
3	दिनांक 25.10.2025	दिनांक 27.10.2025	सेक्टर-122, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
4	दिनांक 25.10.2025	दिनांक 27.10.2025	सेक्टर-74 से 117, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
5	दिनांक 09.11.2025	दिनांक 09.11.2025	सेक्टर- 06, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
6	दिनांक 09.11.2025	दिनांक 09.11.2025	सेक्टर- 02, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
7	दिनांक 09.11.2025	दिनांक 14.11.2025	सेक्टर-50, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
8	दिनांक 12.11.2025	दिनांक 15.11.2025	सेक्टर-63, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
9	दिनांक 15.11.2025	दिनांक 15.11.2025	सेक्टर-60, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
10	दिनांक 14.11.2025	दिनांक 17.11.2025	सेक्टर-51, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
11	दिनांक 14.11.2025	दिनांक 17.11.2025	सेक्टर-50, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
12	दिनांक 16.11.2025	दिनांक 18.11.2025	फेज-2, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
13	दिनांक 19.11.2025	दिनांक 19.11.2025	सेक्टर-05, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
14	दिनांक 20.11.2025	दिनांक 21.11.2025	सेक्टर-49, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
15	दिनांक 20.11.2025	दिनांक 21.11.2025	सेक्टर-70 से 121 नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न

16	दिनांक 20.11.2025	दिनांक 21.11.2025	सेक्टर-14, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
17	दिनांक 24.11.2025	दिनांक 28.11.2025	सेक्टर-85, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
18	दिनांक 24.11.2025	दिनांक 28.11.2025	सेक्टर-74 से 136, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
19	दिनांक 24.11.2025	दिनांक 28.11.2025	सेक्टर-83, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
20	दिनांक 26.11.2025	दिनांक 28.11.2025	सेक्टर-132, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
21	दिनांक 26.11.2025	दिनांक 28.11.2025	सेक्टर-91, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
22	दिनांक 27.11.2025	दिनांक 29.11.2025	सेक्टर-154, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
23	दिनांक 28.11.2025	दिनांक 29.11.2025	सेक्टर- 81, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
24	दिनांक 03.12.2025	दिनांक 05.12.2025	सेक्टर-58 से 59, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
25	दिनांक 03.12.2025	दिनांक 05.12.2025	सेक्टर-142, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
26	दिनांक 04.12.2025	दिनांक 05.12.2025	सेक्टर-129, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
27	दिनांक 05.12.2025	दिनांक 06.12.2025	सेक्टर-122, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
28	दिनांक 15.12.2025	दिनांक 15.12.2025	सेक्टर- 116, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
29	दिनांक 15.12.2025	दिनांक 15.12.2025	सेक्टर-78, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न
30	दिनांक 17.12.2025	दिनांक 17.12.2025	सेक्टर-08, नोएडा	निरीक्षण आख्या एवं पत्र संलग्न

पत्रांक: 675/संख-194/25

दिनांक:- 29-09-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (S.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में में अवगत कराना है कि पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-29.09.2025 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लॉट न0 ई 12/1, सेक्टर-01, नोएडा के सामने वाली मेन रोड पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया। निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेष्टीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है एवं आपसे अनुरोध है कि आगामी शीत ऋतु 2025-26 में लागू ग्रैप (GRAP) के अनुपालन में रोड की मरम्मत कराने हेतु सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।


संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।



(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा, को पर्यावरण नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।




क्षेत्रीय अधिकारी


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या- 149

1.	स्थल का पूर्ण पता	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लॉट न0 ई 12/1, सेक्टर-01, नोएडा के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	29.09.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, रवि कुमार, जे0आर0एफ0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लॉट न0 ई 12/1, सेक्टर-01, नोएडा के सामने सड़क के किनारे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) के द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	—
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	—
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़काव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लॉट न0 ई 12/1, सेक्टर-01, नोएडा के मेन रोड के किनारे निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित

*Dr. Jadh*

	किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अदर प्रेषित।
--	--

  
29/09/25  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

  
29/09/25  
(राहुल पटेल)  
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी



नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
- 7. 100 वर्ग मीटर तक - ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
- 8. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
- 9. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
- 10. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
- 11. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
- 12. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 772/सा०५०-154/25  
सेवा में,

दिनांक:- 27-10-2025

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-25.10.2025 को सेक्टर-115, नोएडा पावर स्टेशन के सामने वाली रोड़ के किनारे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० (PVVNL) की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिस हेतु मिट्टी का खुले में भण्डारण किया पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी के विरुद्ध नियमानुसार रू० 50,000/- (रू० पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	सेक्टर-115, नोएडा पावर स्टेशन के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	25.10.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्री रंजीत कुमार, जे0आर0एफ0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	सेक्टर-115, नोएडा पावर स्टेशन के सामने वाली रोड़ के किनारे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़कांव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष सेक्टर-115, नोएडा पावर स्टेशन के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था

	के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	---


  
27-10-25

(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

  
27/10/25

(चन्द्र शेखर)  
सहायक अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

  
27-10-25

**नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है**

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक - **रु0 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - **रु0 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - **रु0 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - **रु0 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - **रु0 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 771/सा०५०-194/25  
सेवा में,

दिनांक:- 27-10-2025

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-25.10.2025 को सेक्टर-122, नोएडा डी0पी0एस0 स्कूल के सामने की रोड के किनारे मिट्टी का खुले में भण्डारण किया पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।


क्षेत्रीय अधिकारी


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	सेक्टर-122, नोएडा डी0पी0एस0 स्कूल के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	25.10.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्री रंजीत कुमार, जे0आर0एफ0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	सेक्टर-122, नोएडा डी0पी0एस0 स्कूल के सामने वाली रोड़ पर जल निगम के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय जल निगम की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़काव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष सेक्टर-122, नोएडा डी0पी0एस0 स्कूल के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत नोएडा प्राधिकरण की

	अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आरक्षण आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	--

क्षेत्रीय अधिकारी

  
27.10.25

  
27.10.25  
(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

  
27/10/25  
(चन्द्र शेखर)  
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – रु0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – रु0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – रु0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – रु0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – रु0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में रु0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 846/सावपं-194/4  
सेवा में,

दिनांक:- 09.11.2025

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-09.11.2025 को किया गया। निरीक्षण के दौरान Plot No. A-53& 54, Sector-06, Noida के सामने वाली सड़क पर नाले के निर्माण कार्य के उपरान्त मिट्टी का खुले में भण्डारण किया छोड़ दिया गया, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः अतः नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (पचास हजार रू0 मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-6, नोएडा को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	Plot No. A-53& 54, Sector-06, Noida के सामने वाली सड़क।
2.	निरीक्षण दिनांक	09.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	चन्द्र शेखर (सहायक पर्यावरण अभियन्ता), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Plot No. A-53& 54, Sector-06, Noida के सामने वाली सड़क के दोनो तरफ नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नाला बनाने से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	Plot No. A-53& 54, Sector-06, Noida के सामने वाली सड़क के दोनो तरफ प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे नाला बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। भण्डारित मिट्टी पर जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों व पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था द्वारा उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

*Ravi Kumar*  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

*Chandra Shekhar*  
(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

9.11.25

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
- 13. 100 वर्ग मीटर तक - **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
- 14. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
- 15. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
- 16. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
- 17. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
- 18. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA



पत्रांक: 846(II) / 4790 - 194 / 25  
सेवा में,

दिनांक:— 09-11-2025

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा।

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-09.11.2025 को निरीक्षण के दौरान Plot No. A-59, Sector-02, Noida के सामने वाली सड़क पर नाले के निर्माण कार्य के उपरान्त मिट्टी का खुले में भण्डारण किया छोड़ दिया गया, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः अतः नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 30,000/- (तीस हजार रू0 मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-6, नोएडा को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं0 : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website - [www.unpcb.up.gov.in](http://www.unpcb.up.gov.in), e-mail : [ronoids@uppcb.in](mailto:ronoids@uppcb.in)

e:\system data\grap 2025-26\penalty and notice\covering - copy.docx

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	Plot No. A-59, Sector-02, Noida के सामने वाली सड़क।
2.	निरीक्षण दिनांक	09.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	चन्द्र शेखर, (सहायक पर्यावरण अभियन्ता)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Plot No. A-59, Sector-02, Noida के सामने वाली सड़क के दोनो तरफ नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नाला बनाने से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	Plot No.-A-59, Sector-02, Noida के सामने वाली सड़क के दोनो तरफ प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे नाला बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। भण्डारित मिट्टी पर जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Plot No.-A-59, Sector-02, Noida के सामने वाली सड़क के निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 30,000/- (तीस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

*(रवि कुमार)*  
जे0आर0एफ0

*(चन्द्र शेखर)*  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

*(रवि कुमार)*  
9.11.25  
20

नोट : माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  7. 100 वर्ग मीटर तक - ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  8. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  9. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  10. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  11. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्डअप एरिया) से अधिक - ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  12. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 917/सा०५०-134/25

दिनांक:- 14-11-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (KK),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-09.11.2025 को निरीक्षण के दौरान IGL, द्वारा Sector-50, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के समीप Lat. 28.572848 Long. 77.373538 पर पाईप लाइन डालने हेतु गड्ढे के खुदाई कर मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः IGL, C-3, First Floor, Piccadilly Building, Sector 3, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध नियमानुसार रू0 10,000/- (दस हजार रू0 मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।  
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. IGL, C-3, First Floor, Piccadilly Building, Sector 3, नोएडा को इस निर्देश के साथ कि निर्माण कार्य हेतु वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) एवं पर्यावरण 01 और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना 25.01.2018 के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। परियोजना का दोबारा निरीक्षण के दौरान उल्लघन पाये जाने पर नियमानुसार पुनः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं उचित कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

On  
JK

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	IGL, द्वारा Sector-50, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के समीप। Lat. 28.572848 Long. 77.373538
2.	निरीक्षण दिनांक	09.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	IGL, द्वारा Sector-50, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के समीप पाईप लाइन डालने हेतु गड्ढे के खुदाई कर मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	श्री आशीष
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय पाईप लाइन डालने हेतु गड्ढे के खुदाई कर मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर गड्ढे की खुदाई का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिस हेतु मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष प्रबन्धक IGL, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत प्रबन्धक IGL, C-3, First Floor, Piccadilly Building, Sector 3, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध नियमानुसार 10,000/- (दस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
14.11.25  
(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

  
(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

  
14.11.25  
Ru

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्डअप एरिया) से अधिक – ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 944/साठपठ-194/25

दिनांक:- 15-11-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (KK),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-12.11.2025 को निरीक्षण के दौरान ई-ब्लॉक, सेक्टर-63, नोएडा में सड़क के किनारे नाले के निर्माण कार्य हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (पचास हजार रू0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों/ RTI Portal पर प्राप्त शिकायत, Reg. No- DSPCB/R/2025/60484 के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	ई-ब्लॉक, सेक्टर-63, नोएडा।
2.	निरीक्षण दिनांक	12.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री विशाल मौर्या, प्रयोगशाला सहायक, श्री अशीष चौहान, जे0आर0एफ0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	ई-ब्लॉक, सेक्टर-63, नोएडा में सड़क के किनारे नाले के निर्माण कार्य हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर नाले के निर्माण कार्य हेतु मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय नाले के निर्माण कार्य हेतु भूमिगत मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष ई-ब्लॉक, सेक्टर-63, नोएडा में निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित

LA

	आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	---

*[Signature]*  
13/11/25  
(अशीष चौहान)  
जे0आर0एफ0

*[Signature]*  
13/11/25  
(विशाल मौर्या)  
प्रयोगशाला सहायक

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*  
13.11.25

**नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है**

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
- 1. 100 वर्ग मीटर तक - रु0 10,000/- अर्थ दण्ड।
- 2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - रु0 20,000/- अर्थ दण्ड।
- 3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - रु0 30,000/- अर्थ दण्ड।
- 4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - रु0 50,000/- अर्थ दण्ड।
- 5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - रु0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
- 6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में रु0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 962/सा 40-134/25

दिनांक: 15-11-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (KK),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-15.11.2025 को निरीक्षण के दौरान धर्मपाल प्रेमचन्द्र लि0, प्लॉट सं0-ए-34/35, सेक्टर-60, नोएडा के सामने नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा वाटर पाईप लाईन की मरम्मत का कार्य होता हुआ पाया गया, जिस हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है। जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 10,000/- (दस हजार रू0 मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।


क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	धर्मपाल प्रेमचन्द्र लि0, प्लाट सं0-ए-34/35, सेक्टर-60, नोएडा के सामने नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा वाटर पाईप लाईन की मरम्मत का कार्य।
2.	निरीक्षण दिनांक	15.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	धर्मपाल प्रेमचन्द्र लि0, प्लाट सं0-ए-34/35, सेक्टर-60, नोएडा के सामने नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा वाटर पाईप लाईन की मरम्मत का कार्य होता हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष धर्मपाल प्रेमचन्द्र लि0, प्लाट सं0-ए-34/35, सेक्टर-60, नोएडा के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 10,000/- (दस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
15.11.25

(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

  
15.11.25

(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

  
15.11.25  
Ro

नोट : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 987/सं090-194/25

दिनांक: 17-11-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (KK),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-14.11.2025 को निरीक्षण के दौरान प्लॉट सं0-बी-179, सेक्टर-51, नोएडा के सामने मेन रोड के किनारे गंगाजल पाईप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया, जिस हेतु मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 10,000/- (दस हजार रू0 मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्धदण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भक्तदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	प्लॉट सं0-बी-179, सेक्टर-51, नोएडा के सामने मेन रोड के किनारे गंगाजल पाईप लाइन डालने का कार्य।
2.	निरीक्षण दिनांक	14.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	प्लॉट सं0-बी-179, सेक्टर-51, नोएडा के सामने मेन रोड के किनारे गंगाजल पाईप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर गंगाजल पाईप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय स्थल पर गंगाजल पाईप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष प्लॉट सं0-बी-179, सेक्टर-51, नोएडा के सामने मेन रोड पर निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 10,000/- (दस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
17.11.25

(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

  
17.11.25

(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

  
17.11.25

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 985/साप०-194/25  
सेवा में,

दिनांक: 17-11-2025

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (KK),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-14.11.2025 को निरीक्षण के दौरान In front of Overseas Apartmaent, F-09, Sector-50, Noida के मेन गेट के सामने सीवर लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया, जिस हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 30,000/- (तीस हजार रू0 मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :


1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।


क्षेत्रीय अधिकारी


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	In front of Overseas Apartmaent, F-09, Sector-50, Noida के मेन गेट के सामने सीवर लाइन डालने का कार्य।
2.	निरीक्षण दिनांक	14.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहा0पर्या0अभि0, श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्रीमती अर्पिता राज, जे0आर0एफ0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	In front of Overseas Apartmaent, F-09, Sector-50, Noida के मेन गेट के सामने सीवर लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	गार्ड।
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था द्वारा सीवर पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया। जिस हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष In front of Overseas Apartmaent, F-09, Sector-50, Noida के मेन गेट के सामने मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 30,000/- (तीस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

  
17.11.25  
Ro

  
17.11.25  
(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

  
17.11.25  
(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभियन्ता

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 997/सा०५०-194/4  
सेवा में,

दिनांक:- 18-11-2024

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में में अवगत कराना है कि पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-16.11.2025 को प्लॉट न० बी-209, फेज-2, नोएडा के सामने निरीक्षण के दौरान पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर नहीं पाया गया। निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू० 50,000/- (रू० पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है एवं आपसे अनुरोध है कि आगामी शीत ऋतु 2025-26 में लागू ग्रैप (GRAP) के अनुपालन में रोड की मरम्मत कराने हेतु सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० (PVVNL) नोएडा, को पर्यावरण नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	प्लॉट न0 बी-209, फेज-2, नोएडा के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	16.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	राहुल पटेल (अवर अभियन्ता), विशाल मौर्या (प्रयो0सहा0), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	प्लॉट न0 बी-209, फेज-2, नोएडा के सामने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) के द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़काव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष प्लॉट न0 बी-209, फेज-2, नोएडा के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

(विशाल मौर्या)  
प्रयो0सहा0

(राहुल पटेल)  
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी

17/11/25

17/11/25

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1025/साठ०-134/25

दिनांक: 19-11-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:-मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.11.2025 को निरीक्षण के दौरान नियर शिव मन्दिर, व्यापार मार्ग मेन चौराहा, सेक्टर-05, नोएडा के मेन रोड के किनारे सीवर पाइप लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है एवं निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री का खुले में भण्डारण पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेधीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	नियर शिव मन्दिर, व्यापार मार्ग मेन चौराहा, सेक्टर-05, नोएडा। Lat. 28.5842 Long. 77.3193
2.	निरीक्षण दिनांक	19.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहा0पर्या0अभि0, श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	नियर शिव मन्दिर, व्यापार मार्ग मेन चौराहा, सेक्टर-05, नोएडा के मेन रोड के किनारे सीवर पाइप लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है एवं निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री का खुले में भण्डारण पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर सीवर पाइप लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है एवं निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री का खुले में भण्डारण पाया गया।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर सीवर पाइप लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है एवं निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री का खुले में भण्डारण पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरींग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष नियर शिव मन्दिर, व्यापार मार्ग मेन चौराहा, सेक्टर-05, नोएडा के मेन रोड पर निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 10,000/- (दस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
19.11.25  
(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

  
19.11.25  
(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

  
19.11.25  
Rw

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1061/का०प०-194/25

दिनांक:- 21-11-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

संदर्भ:-आई0एम0एस0 संदर्भ सं० 316896865, 473665941 एवं 78028699 के सम्बंध में।  
विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आई0एम0एस0 पोर्टल संदर्भ सं० 316896865, 473665941 एवं 78028699 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा सेक्टर-49 मुख्य मार्ग पर पाइपलाइन डालने के उपरान्त मिट्टी से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बंध में शिकायत की गई है। तत्क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक-20.11.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय सेक्टर-49 के मुख्य मार्ग, हनुमान मंदिर के सामने पाइपलाइन डालने के कार्य से उत्सर्जित मिट्टी को मेन रोड के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गई है। जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू० 50,000/- (रू० पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है एवं आपसे अनुरोध है कि आगामी शीत ऋतु 2025-26 में लागू ग्रैप (GRAP) के अनुपालन में रोड की मरम्मत कराने एवं मिट्टी को हटाए जाने निरंतर मैकेनिकल रोड स्वीमिंग मशीन एवं पानी के छिडकाव हेतु सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

आई0एम0एस0 संदर्भ सं0 316896865, 473665941 एवं 78028699 के माध्यम से प्राप्त शिकायत व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	Noida, Sector-49 Main Road, हनुमान मंदिर के सामने वाली सडक।
2.	निरीक्षण दिनांक	20.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	राहुल पटेल, (अवर अभियन्ता), विशाल मौर्या (प्रयो0सहा0), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Noida, Sector-49 Main Road, हनुमान मंदिर के सामने वाली सडक के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइप लाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारे खुला छोड़ दिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय भूमिगत पाइपलाइन डालने से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	Noida, Sector-49 Main Road, हनुमान मंदिर के सामने वाली सडक के किनारे प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया है जिससे मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Noida, Sector-49 Main Road, हनुमान मंदिर के सामने वाली सडक के निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा

	प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	--

*Buy:-*  
20/11/25  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

*Seal*  
20/11/25  
(विशाल मौर्या)  
प्रयो0सहा0

*RP*  
20/11/25  
(राहुल पटेल)  
अवर अभियन्ता

सहा0पत्रा0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

*B*

*20.11.25*

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक - **रु0 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - **रु0 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - **रु0 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - **रु0 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - **रु0 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1059/साप्ताहिक-194/25

दिनांक:- 21-11-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

संदर्भ:-आई0एम0एस0 संदर्भ सं0 670354775 के सम्बंध में।

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आई0एम0एस0 पोर्टल संदर्भ सं0 670354775 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा Noida, Sector 70 to 121 Service Road के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा गंगा जल पाइपलाइन रिपेरिंग के कार्य से उत्पन्न मिट्टी से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बंध में शिकायत की गई है। तत्क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक-20.11.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय Noida, Sector 70 to 121 Service Road पर नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा गंगा जल पाइपलाइन रिपेरिंग के कार्य से उत्पन्न मिट्टी को खुले में रोड के किनारें खुला छोड़ दिया गया है। जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है एवं आपसे अनुरोध है कि आगामी शीत ऋतु 2025-26 में लागू ग्रैप (GRAP) के अनुपालन में रोड की मरम्मत कराने एवं मिट्टी को हटाए जाने निरंतर मैकेनिकल रोड स्वीमिंग मशीन एवं पानी के छिडकाव हेतु सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

आई0एम0एस0 संदर्भ सं0 670354775 के माध्यम से प्राप्त शिकायत व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या—

1.	स्थल का पूर्ण पता	Noida, Sector 70 to 121 Service Road.
2.	निरीक्षण दिनांक	20.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	राहुल पटेल, (अवर अभियन्ता), विशाल मौर्या (प्रयो0सहा0), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Noida, Sector 70 to 121 Service Road के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा गंगा जल पाइपलाइन रिपेरिंग के कार्य से उत्पन्न मिट्टी को खुले में रोड के किनारे खुला छोड़ दिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	—
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	—
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय भूमिगत गंगा जल पाइपलाइन रिपेरिंग से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है—
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	Noida, Sector 70 to 121 Service Road के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा गंगा जल पाइपलाइन रिपेरिंग के कार्य से उत्पन्न मिट्टी को खुले में रोड के किनारे खुला छोड़ दिया गया है। जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Noida, Sector 70 to 121 Service Road के निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 30,000/— (तीस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय

	क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	--

*Ravi*  
20/11/25  
(रवि कुमार)  
जे०आर०एफ०

*Vishal*  
20/11/25  
(विशाल मौर्या)  
प्रयो०सहा०

*Rahul*  
20/11/25  
(राहुल पटेल)  
अवर अभियन्ता

सहा०पर्या०अभि० / क्षेत्रीय अधिकारी

*R*

*20-11-25*

नोट : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
    1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹ 10,000/- अर्थ दण्ड।
    2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹ 20,000/- अर्थ दण्ड।
    3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹ 30,000/- अर्थ दण्ड।
    4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹ 50,000/- अर्थ दण्ड।
    5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹ 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
- बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹ 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1058/साफ-134/4

दिनांक:- 21-11-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

संदर्भ:-आई0एम0एस0 संदर्भ सं0 344506325 के सम्बंध में।

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आई0एम0एस0 पोर्टल संदर्भ सं0 344506325 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा Sector-14 के सामने वाली सड़क से लगे फुटपात पर भूमिगत विद्युत केबिल डालने के उपरान्त मिट्टी से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बंध में शिकायत की गई है। तत्क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक-20.11.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय Sector-14 के सामने वाली सड़क से लगे फुटपात पर सड़क के किनारे भूमिगत केबिल डालने के कार्य से उत्सर्जित मिट्टी को मेन रोड के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गई है। जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में PVVNL की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है एवं आपसे अनुरोध है कि आगामी शीत ऋतु 2025-26 में लागू ग्रैप (GRAP) के अनुपालन में रोड की मरम्मत कराने एवं मिट्टी को हटाए जाने निरंतर मैकेनिकल रोड स्वीमिंग मशीन एवं पानी के छिडकाव हेतु सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी) o/c  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी o/c

आई0एम0एस0 संदर्भ सं0 344506325 के माध्यम से प्राप्त शिकायत व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-


1.	स्थल का पूर्ण पता	Sector-14 के सामने वाली सडक से लगे फुटपात पर
2.	निरीक्षण दिनांक	20.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	राहुल पटेल, (अवर अभियन्ता), विशाल मौर्या (प्रयो0सहा0), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Sector-14 के सामने वाली सडक से लगे फुटपात पर PVVNL की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत विद्युत केबिल डालने के उपरान्त मिट्टी का सडक के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गई है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय PVVNL भूमिगत विद्युत केबिल डालने से उत्पन्न मिट्टी को सडक किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	Sector-14 के सामने वाली सडक से लगे फुटपात पर सडक के किनारे PVVNL की कार्यदायी संस्था के द्वारा सडक के किनारे विद्युत केबिल डालने का कार्य किया गया है जिससे मिट्टी की खुदाई कर सडक के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Sector-14 के सामने वाली सडक से लगे फुटपात का निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा PVVNL की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की

20/11/25


	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	---

  
(रवि कुमार)  
जे०आर०एफ०

  
(विशाल मौर्या)  
प्रयो०सहा०

  
(राहुल पटेल)  
अवर अभियन्ता

सहा०पर्या०अभि० / क्षेत्रीय अधिकारी

  
  
20-11-25

नोट : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
- 1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹ 10,000/- अर्थ दण्ड।
- 2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹ 20,000/- अर्थ दण्ड।
- 3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹ 30,000/- अर्थ दण्ड।
- 4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹ 50,000/- अर्थ दण्ड।
- 5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹ 5,00,000/- अर्थ दण्ड।

बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹ 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA



पत्रांक: 1112/सं०५०-194/25

दिनांक:- 28-11-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-24.11.2025 को निरीक्षण के दौरान B Block, Near Plot No. A-13, Sector-85, Noida के पास मेन रोड के किनारे नाले के निर्माण कार्य हेतु मिट्टी एवं कीचड़ का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया पाया गया, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः नोएडा अथॉरिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 30,000/- (तीस हजार रू0 मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी )  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ ग्रेडया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	B Block, Near Plot No. A-13, Sector-85, Noida के पास मेन रोड पर।
2.	निरीक्षण दिनांक	24.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	विशाल मौर्या (प्रयो०सहा०), रवि कुमार (जे०आर०एफ०)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	B Block, Near Plot No. A-13, Sector-85, Noida के पास मेन रोड के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने के उपरान्त मिट्टी एवं नाली के कीचड को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो०नं०	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय भूमिगत सीवेज पाइपलाइन डालने से उत्पन्न मिट्टी एवं नाली के कीचड को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	B Block, Near Plot No. A-13, Sector-85, Noida के पास मेन रोड के किनारे प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे भूमिगत सीवेज पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया है जिससे मिट्टी की खुदाई कर एवं नाली के कीचड को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष B Block, Near Plot No. A-13, Sector-85, Noida के पास मेन रोड के किनारे निरीक्षण के समय मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा० सी०ए०क्यू०एम०

	के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था विरुद्ध नियमानुसार 30,000/- (तीस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	---

  
27/11/25  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

  
27/11/25  
(विशाल मौर्या)  
प्रयो0सहा0

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्डअप एरिया) से अधिक - ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।

बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1115/सां०५०-194/4  
सेवा में,

दिनांक:- 28-11-2025

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-24.11.2025 को निरीक्षण के दौरान Plot No. 74, Sector-136 के पास मेन रोड के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइनलाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारे खुला छोड़ दिया गया है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू० 30,000/- (तीस हजार रू० मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र०नि०बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ म्दया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	Plot No. 74, Sector-136 के पास मेन रोड पर।
2.	निरीक्षण दिनांक	24.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	विशाल मौर्या (प्रयो0सहा0), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Plot No. 74, Sector-136 के पास मेन रोड के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइप लाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारे खुला छोड़ दिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय भूमिगत पाइपलाइन डालने से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	Plot No. 74, Sector-136 के पास मेन रोड के किनारे प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया है जिससे मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Plot No. 74, Sector-136 के पास मेन रोड

Q.m.

कार्यवाही	किनारे निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C& Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 30,000/- (तीस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
-----------	--

*(रवि कुमार)*  
27/11/25  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

*(विशाल मौर्या)*  
27/11/25  
(विशाल मौर्या)  
प्रयो0सहा0

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

*(हस्ताक्षर)*  
27.11.25

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
- 1. 100 वर्ग मीटर तक - **रु0 10,000/-** अर्थ दण्ड।
- 2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - **रु0 20,000/-** अर्थ दण्ड।
- 3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - **रु0 30,000/-** अर्थ दण्ड।
- 4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - **रु0 50,000/-** अर्थ दण्ड।
- 5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - **रु0 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
- 6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1111/साठपा-134/25

दिनांक:- 28-11-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-24.11.2025 को निरीक्षण के दौरान Plot No. A-13, Sector-83 के पास मेन रोड के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइप लाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारे खुला छोड़ दिया गया है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 30,000/- (तीस हजार रू0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी


प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ डेड्या व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	Plot No. A-5, Sector-83 के पास मेन रोड पर।
2.	निरीक्षण दिनांक	24.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	विशाल मौर्या (प्रयो0सहा0), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Plot No. A-13, Sector-83 के पास मेन रोड के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइप लाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारें खुला छोड़ दिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त हैं।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय भूमिगत पाइपलाइन डालने से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	Plot No. A-5, Sector-83 के पास मेन रोड के किनारे प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया है जिससे मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Plot No. A-5, Sector-83 के पास मेन रोड किनारे निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार


	30,000/- (तीस हजार रु० मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तु सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	--

  
(रवि कुमार)  
जे०आर०एफ०

  
(विशाल मौर्या)  
प्रयो०सहा०

~~सहा०पर्या०अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी~~



  
27.11.20

नोट : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक - **रु० 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - **रु० 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - **रु० 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - **रु० 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - **रु० 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।

बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु० 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1126/साठपठ-194/4

दिनांक:- 28-11-2024

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में में अवगत कराना है कि पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक-26.11.2025 को GoPaisa Tower, Block-B, Sector-132, नोएडा के सामने मेन रोड के किनारे पश्मांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) के द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य से उत्पन्न मिट्टी को रोड के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेधीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पश्मांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 30,000/- (तीस हजार रू0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ नरि । व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	GoPaisa Tower, Block-B, Sector-132, नोएडा के सामने मेन रोड पर।
2.	निरीक्षण दिनांक	26.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	किशन सिंह (सहा0पर्या0अभि0), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	GoPaisa Tower, Block-B, Sector-132, नोएडा के सामने मेन रोड के किनारे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) के द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य से उत्पन्न मिट्टी को रोड के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित पायी गयी है।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़काव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष GoPaisa Tower, Block-B, Sector-132, नोएडा के सामने मेन रोड के किनारे निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 30,000/- (तीस हजार रु0

*Ch*

	मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकना एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	--

क्षेत्रीय अधिकारी

*27.11.25 Ro*

*(Ravi Kumar)*  
27/11/25  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

*(Kishan Singh)*  
27/11/25  
(किशन सिंह)  
सहा0पर्या0अभि0

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1124/सापब-134/25  
सेवा में,

दिनांक:- 28-11-24

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-26.11.2025 को निरीक्षण के दौरान Panchsheel Balika Inter College, Sector-91, Noida, Red Light के पास मेन रोड के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइप लाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारे खुला छोड़ दिया गया है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रु0 30,000/- (तीस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी


प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ पिच्चा व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	Panchsheel Balika Inter College, Sector-91, Noida, Red Light के पास मेन रोड पर।
2.	निरीक्षण दिनांक	26.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	किशन सिंह (सहा0पर्या0अभि0), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Panchsheel Balika Inter College, Sector-91, Noida, Red Light के पास मेन रोड के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइप लाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारे खुला छोड़ दिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त हैं।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय भूमिगत पाइपलाइन डालने से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	Panchsheel Balika Inter College, Sector-91, Noida, Red Light के पास मेन रोड के किनारे प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया है जिससे मिट्टी की खुदाई
----	--	--

Rev

		कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Panchsheel Balika Inter College, Sector-91, Noida, Red Light के पास मेन रोड किनारे निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 30,000/- (तीस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

*Ravi Kumar*  
27/11/25  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

*Kishan Singh*  
27/11/25  
(किशन सिंह)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक - रु0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - रु0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - रु0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - रु0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - रु0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।

बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में रु0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1127/संख्या-194/24

दिनांक:- 29-11-2024

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-27.11.2025 को निरीक्षण के दौरान सेक्टर 154 की मेन रोड के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइप लाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारे खुला छोड़ दिया गया है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रु0 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है। उक्त रोड पर मिट्टी को हटाये जाने, रोड की मरम्मत कराये जाने व मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से रोड को निरंतर साफ किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ एम्प्लॉय व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	सेक्टर 154 की मेन रोड पर भूमिगत पाइप लाइन निर्माण कार्य।
2.	निरीक्षण दिनांक	27.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	किशन सिंह (सहा0पर्या0अभि0), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	सेक्टर 154 की मेन रोड के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइप लाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारे खुला छोड़ दिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त हैं।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय भूमिगत पाइपलाइन डालने से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	सेक्टर 154 की मेन रोड के किनारे प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया है जिससे मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष सेक्टर 154 की मेन रोड के किनारे निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

	अधिरोपित किये जाने की संस्तुति हित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक का वाही हेतु सादर प्रेषित।
--	---

  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

  
(किशन सिंह)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

  
28.11.21

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।

बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1136/सा०१०-194/24

दिनांक: 29-11-2024

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-28.11.2025 को निरीक्षण के दौरान शिव मन्दिर के सामने सेक्टर-81, नोएडा, Lat-28.548235 Long-77.390828 नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइन लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरींग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 20,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ जेड्या व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	शिव मन्दिर के सामने सेक्टर-81, नोएडा,   Lat-28.548235 Long-77.390828
2.	निरीक्षण दिनांक	28.11.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहायक पर्यावरण अधिकारी, श्री रंजीत कुमार, जे0आर0एफ0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	शिव मन्दिर के सामने सेक्टर-81, नोएडा, नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइन लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरमिस्टर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरींग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष शिव मन्दिर के सामने सेक्टर-81, नोएडा निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 20,000/- (बीस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

  
28.11.25  
RO

  
(रंजीत कुमार)  
जे0आर0एफ0

  
(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभि0

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1220/सां०-194/25  
सेवा में,

दिनांक:- 05-12-2025

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

संदर्भ:- आई0एम0एस0 संदर्भ सं० 633776546, 711244880, 758098993 एवं 712224663 के सम्बंध में।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आई0एम0एस0 पोर्टल संदर्भ सं० 633776546, 711244880, 758098993 एवं 712224663 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा सेक्टर-58 व 59 में पाइपलाइन डालने के उपरान्त मिट्टी से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बंध में शिकायत की गई है। तत्क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक-03.12.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय सेक्टर-58, ब्लॉक बी-32 के सामने पाइपलाइन डालने के कार्य से उत्सर्जित मिट्टी को मेन रोड के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गई है। जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू० 50,000/- (रू० पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,  
  
(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. शिकायत श्री अमित गुप्ता को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

आई0एम0एस0 संदर्भ सं0 633776546, 711244880, 758098993, 712224663 एवं लागू ग्रेप और मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	Near Block B-32, Sector-58 सामने वाली सड़क।
2.	निरीक्षण दिनांक	03.12.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	राहुल पटेल, (अवर अभियन्ता), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Near Block B-32, Sector-58 सामने वाली सड़क के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा पाइप लाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारें खुला छोड़ दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय भूमिगत पाइपलाइन डालने से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	Near Block B-32, Sector-58 सामने वाली सड़क के किनारे प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया है जिससे मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Near Block B-32, Sector-58 सामने वाली सड़क के निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की

	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	---

*Ravi*  
04/12/25  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

*Rahul*  
04/12/25  
(राहुल पटेल)  
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*

4.12.25

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।

1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।

बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1222 | साठपठ - 134 | 25  
सेवा में,

दिनांक:- 05-12-2025

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है आई0एम0एस0 संदर्भ सं0 558841304 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा सेक्टर-142 नोएडा में बन रहे नाले से उत्पन्न मिट्टी के रोड पर आने से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बंध में शिकायत की गयी है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-03.12.2025 को निरीक्षण के दौरान Sector-142, Metro Piller No. 414 के पास सर्विस रोड पर नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला बनाने के कार्य से उत्पन्न मिट्टी को खोदकर खुले में भण्डारित कर दिया गया है जिसपर ग्रीन नेट कवरिंग एवं पानी के छिडकाव आदि की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (पचास हजार रू0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भेददीय,  
  
(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी


प्रतिलिपि :

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. शिकायतकर्ता श्री अमित गुप्ता को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

आई0एम0एस0 संदर्भ सं0 558841304 एवं लागू ग्रेप और मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ. ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या—

1.	स्थल का पूर्ण पता	Sector-142, Metro Piller No. 414 के पास सर्विस रोड पर।
2.	निरीक्षण दिनांक	03.12.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	राहुल पटेल (अवर अभियन्ता), रवि कुमार (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Sector-142, Metro Piller No. 414 के पास सर्विस रोड के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला बनाने के कार्य से उत्पन्न मिट्टी को खोदकर खुले में भण्डारित कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	—
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	—
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नाला बनाने के कार्य से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है—



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे—वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	Sector-142, Metro Piller No. 414 के पास सर्विस रोड के किनारे प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला बनाने का कार्य किया गया है जिससे मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण
----	--	---

		की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Sector-142, Metro Pillar No. 414 के पास सर्विस रोड के किनारे निरीक्षण के समय मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा० सी०ए०क्यू०एम० के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु० मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

*Ravi Kumar*  
(रवि कुमार)  
जे०आर०एफ०

*Rahul Patel*  
(राहुल पटेल)  
अवर अभियन्ता

सहा०पर्या०अभि० / क्षेत्रीय अधिकारी

*K. S. Singh*

*4.12.25*

नोट : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
- 1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹० 10,000/- अर्थ दण्ड।
- 2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹० 20,000/- अर्थ दण्ड।
- 3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹० 30,000/- अर्थ दण्ड।
- 4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹० 50,000/- अर्थ दण्ड।
- 5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹० 5,00,000/- अर्थ दण्ड।

बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹० 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1218/सा090-134/25

दिनांक: 05-12-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-04.12.2025 को निरीक्षण के दौरान सेक्टर-129, नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर पर रोड के किनारे नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत गंगा वाटर पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिस हेतु मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित किया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	सेक्टर-129, नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
2.	निरीक्षण दिनांक	04.12.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री राहुल पटेल, अवर अभियन्ता, श्री रवि कुमार, जे0आर0एफ0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	सेक्टर-129, नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर पर रोड के किनारे नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत गंगा वाटर पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत गंगा वाटर पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़कांव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष सेक्टर-129, नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर पर रोड के किनारे निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने

	के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	--

*रवि कुमार*  
8/11/25  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

*राहुल पटेल*  
05/12/25  
(राहुल पटेल)  
अवर अभियन्ता

*AEF/*  
*KC*  
क्षेत्रीय अधिकारी

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक - रु0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - रु0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - रु0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - रु0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - रु0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में रु0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1240/साठप०-194/25

दिनांक: 06-12-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-05.12.2025 को निरीक्षण के दौरान डी0पी0एस0, सेक्टर-122, नोएडा के विपरीत नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला मरम्तीकरण का कार्य होता हुआ पाया गया तथा मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरींग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :


1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	डी0पी0एस0, सेक्टर-122, नोएडा के विपरीत। Lat-28.589354 Long-77.398201
2.	निरीक्षण दिनांक	05.12.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहायक पर्यावरण अधिकारी, श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	डी0पी0एस0, सेक्टर-122, नोएडा के विपरीत नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला मरम्मतीकरण का कार्य होता हुआ पाया गया तथा मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष डी0पी0एस0, सेक्टर-122, नोएडा के विपरीत निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0

	मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
--	---


  
05.12.21

(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

  
05/12/2021

(चन्द्र शेखर)  
सहायक अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

  
5.12.21

**नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है**

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
- 1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
- 2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
- 3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
- 4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
- 5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
- 6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1255/सां०-154/25

दिनांक: 15-12-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-15.12.2025 को निरीक्षण के दौरान सेक्टर-116, नियर एच-ब्लॉक, रोड, नोएडा पी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा केबिल डालने के उपरांत मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,  
  
(अनंद कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	सेक्टर-116, नियर एच-ब्लाक, रोड, नोएडा।
2.	निरीक्षण दिनांक	15.12.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, श्री रवि कुमार, जे0आर0एफ0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	सेक्टर-116, नियर एच-ब्लाक, रोड, नोएडा पी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा केबिल डालने के उपरांत मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय पी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे मिट्टी का खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष सेक्टर-116, नियर एच-ब्लाक, रोड, नोएडा निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

*Ravi Kumar*  
15/12/25  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

*Chandra Shekhar*  
15/12/25  
(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*  
15.12.25  
R

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1294/सा0प0-194/25

दिनांक: 15-12-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-15.12.2025 को निरीक्षण के दौरान सेक्टर-78, नोएडा सामुदायिक शौचालय के सामने नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा पानी की पाइप लाइन डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	सेक्टर-78, नोएडा सामुदायिक शौचालय के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	15.12.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, श्री रवि कुमार, जे0आर0एफ0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	सेक्टर-78, नोएडा सामुदायिक शौचालय के सामने नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा पानी की पाइप लाइन डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे मिट्टी का खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष सेक्टर-78, नोएडा सामुदायिक शौचालय के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

*Rev.*  
15/12/25

(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

*15/12/25*

(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

*15.12.25*  
*Ro*

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – ₹0 10,000/– अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – ₹0 20,000/– अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – ₹0 30,000/– अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – ₹0 50,000/– अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – ₹0 5,00,000/– अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/– एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1350/सा००-194/4

दिनांक: 17-12-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-17.12.2025 को निरीक्षण के दौरान सी-89ए, सेक्टर-08, नोएडा के सामने आई०जी०एल० की कार्यदायी संस्था के द्वारा गैस पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया तथा गैस पाइप लाइन डालने हेतु भूमिगत मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिससे हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में आई०जी०एल० की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू० 10,000/- (रू० दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	सी-89ए, सेक्टर-08, नोएडा के सामने। Lat-28.596455 Long-77.328097
2.	निरीक्षण दिनांक	17.12.2025
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्री रंजीत कुमार, जे0आर0एफ0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	सी-89ए, सेक्टर-08, नोएडा के सामने आई0जी0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा गैस पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया तथा गैस पाइप लाइन डालने हेतु भूमिगत मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय आई0जी0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे भूमिगत मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष सी-89ए, सेक्टर-08, नोएडा के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 10,000/- (दस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी

*[Handwritten signature]*  
17.12.25  
Lo

(रंजीत कुमार)  
जे0आर0एफ0

(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।

प्रत्रांक:- 640/सा0ए0-228/25

दिनांक:- 15-09-2025

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL)  
ए-1, सेक्टर-16ए, नोएडा,  
गौतमबुद्ध नगर।

विषय:-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) के ठेकेदारों द्वारा नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में भूमिगत विद्युत केबिल बिछाने हेतु किये जा रहे खुदाई एवं पेवर बिछाने कार्य में निर्माण कार्य हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण व सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कार्यालय के आई0एम0एस0 पोर्टल नं0-446386185 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा विद्युत कैबिल बिछाने हेतु विभिन्न स्थलों पर मिट्टी खुदाई एवं पेवर बिछाने का कार्य से उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन की शिकायत की गयी है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) के ठेकेदारों द्वारा नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में भूमिगत विद्युत केबिल बिछाने हेतु विभिन्न स्थलों पर मिट्टी खुदाई एवं पेवर बिछाने का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य में जनित मिट्टी, निर्माण सामग्री को खुले में भण्डारित किया जा रहा है, जिससे हो रहे डस्ट उत्सर्जन/वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है। प्राप्त शिकायतों के क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरन्तर निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा भूमिगत केबिल बिछाने हेतु की गयी खुदाई से जनित मिट्टी, निर्माण सामग्री को खुले में भण्डारित किया जा रहा है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा के संचालन से डस्ट उत्सर्जन/वायु प्रदूषण की समस्या हो रही है, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों व उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) के ठेकेदारों द्वारा नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में भूमिगत विद्युत केबिल बिछाने हेतु विभिन्न स्थलों पर मिट्टी खुदाई एवं पेवर बिछाने हेतु किये जा रहे कार्य में आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट व उन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

पत्र सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1268/L-219/25  
सेवा में,

दिनांक: 10-12-2025

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 509/2025 Amit Gupta V/s Noida Authority & Ors. में पारित आदेश दिनांक 10.10.2025 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 509/2025 Amit Gupta V/s Noida Authority & Ors. में पारित आदेश दिनांक 10.10.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....1. In this original application, applicant has raised the grievance that Noida Authority is not complying with the environmental norms while doing various works relating to cable lying, pipe repair and optical fibre work, gas line work and various other construction activities across the Noida.

2. Applicant further submits that after the above activities, complete repair work is not done which results in air pollution in that area. In support of such a plea, he has referred to the photographs filed as annexure A-4 colly from page 64 onwards. He has further referred to photographs on page 65 and 73 in support of the plea that in that process green area is damaged and he has relied upon the communication sent by CPCB on 25.07.2025 forwarded the complaints of the applicant in this regard to the UPPCB. He has also submitted that though the PPCB vide orders annexure A-3 colly, page 55 onwards had 2 imposed the environmental compensation for such pollution but the said EC has not been recovered till now.....”

राज्य बोर्ड में प्राप्त शिकायतों एवं कार्यालय के अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षणों में प्रायः यह पाया जाता है कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य (जैसे- मिट्टी की खुदाई, सड़क निर्माण, पेयजल लाइन एवं विद्युत लाइन डालने हेतु की गई खुदाई) के उपरान्त धूल मिट्टी आदि की सफाई नहीं करायी जाती है, जिससे मार्ग से गुजरने वाले वाहनों के साथ धूल मिट्टी उड़ती है जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनती है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियमित निरीक्षणोपरान्त कार्यालय द्वारा लगातार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया जाने पर कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति नोएडा विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किये जाते हैं किन्तु कृत कार्यवाही की सूचना कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं0 : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website - [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail : [ronoida@uppcb.in](mailto:ronoida@uppcb.in)

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्माण कार्य कर रही संस्थाओं द्वारा C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर तथा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संस्थाओं के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति पत्र के अनुक्रम में कृत कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में नियत सुनवाई से पूर्व आख्या प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

MAN/038/25 Appeal/OA NO. 964 509 of 2025

In re:

Amit Gupta

Plaintiff/Appellants/  
Petitioner/Complainant

VERSUS

Noida Authority

Defendant/Respondent/  
Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We do hereby appoint (herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above noted case & authorize :-

Mr. Pradeep Misra, Mr. Daleep Dhyani, Advocates,  
138, New Lawyers Chamber, Supreme Court of India,  
New Delhi, Ph. :011-23070011, Mob. 9810252518, 9811070721

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/ us.

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.  
To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on my/our behalf.

AND I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

AND I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called.

AND I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself.

AND I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid. I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for every addition three years or part thereof.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my /our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 28 day of 12 2025

Advocate subject to the terms of fees

(PRADEEP MISRA)(DALEEP DHYANI)  
Advocate Advocate (D/435/01)

Client  
Anuj Kumar Chaubey  
Law Officer-I  
U.P. Pollution Control Board  
Lucknow

